

कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ 20 (1) आयो/आकाशि/2012-17/

दिनांक: ,2013

प्राचार्य  
यूजीसी से संबन्धित  
समस्त राजकीय महाविद्यालय

विषय :-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ई पेमेन्ट सिस्टम में प्राप्त अनुदान हेतु बैंक खाता खोलने की अनुमति।

संदर्भ :- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,भोपाल के परिपत्र क्रमांक यू जी सी / सी.आर.ओं/ईपी.एस /2012-13 दिनांक 5.9.2012 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नीति अनुसार समस्त भुगतान जो महाविद्यालय एवं संस्थानों को भेजे जावेगे वे ई-पेमेन्ट सिस्टम द्वारा भिजवाये जायेंगे।

उक्त क्रम में आयोग ने महाविद्यालयों से बैंक मेन्डेट की सूचना पूर्ण विवरण सहित चाही है।

राज्य सरकार के वित्त विभाग की आई. डी. 101204007 दिनांक 17 जनवरी 2013 के अनुसार जो यू.जी.सी. के नियम 1956 के उपनियम 2 एफ 12 बी में पंजीकृत राजकीय महाविद्यालय को बैंक खाते खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है। इन खातों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान राशि के अलावा कोई राशि नहीं रखी जावेगी।

भवदीय

/  
संयुक्त निदेशक

क्रमांक:एफ 20 (1) आयो/आकाशि/2012-17/171-72  
प्रतिलिपि :-

दिनांक: 29.1.2013

1 शिक्षा अधिकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मध्य क्षेत्र अरेरा कालोनी तवा  
काम्पलेक्स बिल्टन मार्केट भोपाल को सूचनार्थ।

2 डा धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, वेबसाइट प्रभारी को भेजकर लेख है कि पत्र  
वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

  
संयुक्त निदेशक